



Haryana Industrial Training Directorate,  
Headquarters, Chandigarh

सेवा में

प्रधानाचार्य,  
जे० आर० मैगोरियल प्राईवेट आई०टी०आई०,  
झुंझर रोड, नजदीक रवागी उमा गारती सी-नीयर सैकेंडरी स्कूल,  
रिवाड़ी।

यादी क्र०: टी-4/निरीक्षण /प्राई०आई०टी० /प्रशि०-3/  
दिनांक:

विषय:- जे०आर० मैगोरियल प्राईवेट आई०टी०आई० रिवाड़ी में चल रहे एन०सी०वी०टी० एफिलियेटेड व्यवसायों/यूनिटों को डी-एफिलियेट करने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक 725 दिनांक 4-7-2016 संदर्भ में। आपको सूचित किया जाता है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र अनुसार किए गए अनुरोध को विभाग द्वारा स्वीकार करते आपके संस्थान में एन०सी०वी०टी० स्कीम के तहत चल रहे सभी यूनिटों/व्यवसायों को बन्द कर दिया गया है। जहां तक एन०सी०वी०टी० स्कीम के तहत चल रहे इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय के यूनिटों को डी-एफिलियेट करने का संबंध है इस बारे डी०जी०टी०भारत सरकार नई दिल्ली को लिख दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपको यह भी आदेश दिये जाते हैं कि आप अपने संस्थान से संबंधित सभी रिकार्ड जैसे कि प्रमाण पत्र/परीक्षाफल व अब तक दाखिल किए गए छात्रों के फार्म व अन्य सभी प्रकार का रिकार्ड जो भी आपके संस्थान में है, को प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी, राजकीय आई०टी०आई०, रिवाड़ी के पास जमा करवाते हुए इस बारे इस निदेशालय को तुरन्त अवगत करवायें। यदि आप द्वारा अपने संस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार के रिकार्ड को अपने पास रखा गया और किसी प्रकार की लिटीगेशन होती है तो इसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेवार होंगे।

उप निदेशक (प्रशि०)

कृते:निदेशक,ओ०प्रशि०विभाग,हरियाणा।

पू०क्र०: टी-4/निरीक्षण /प्राई०आई०टी० /प्रशि०-3/

उपरोक्त की एक प्रति प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी, राजकीय आई०टी०आई०, रिवाड़ी को भेजते हुए आदेश दिये जाते हैं कि आप अपने स्तर पर भी जे०आर० मैगोरियल प्राईवेट आई०टी०आई० रिवाड़ी को आदेश पारित करें कि वह अपने संस्थान का पूर्ण रिकार्ड जैसे कि प्रमाण पत्र/परीक्षाफल व अब तक दाखिल किए गए छात्रों के फार्म व अन्य जो भी रिकार्ड उनके संस्थान में है, को राजकीय आई०टी०आई०, रिवाड़ी में जमा करवायें तथा की गई कार्यवाही से इस निदेशालय को सूचित करें।

- 2- नियंत्रक परीक्षा अधिकारी(मुख्यालय पर)।
- 3- सहायक निदेशक(प्रमाण पत्र)।
- 4- सहायक निदेशक प्रशिक्षण-1(विभागीय बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।
- 5- सहायक निदेशक प्रशिक्षण -1

उप निदेशक (प्रशि०)

कृते:निदेशक,ओ०प्रशि०विभाग  
हरियाणा।